देहरादून जागरण

नए साल से इंजीनियरिंग कालेज बढ़ा सकेंगे सीटें

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने की घोषणा, अच्छा प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को अवसर

अशोक केडियाल • देहरादून

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अच्छा प्रदर्शन करने वाले इंजीनियरिंग संस्थानों के लिए छात्रों की संख्या बढ़ाने की सीमा हटाने की घोषणा की है। वर्ष 2024 से यह नियम प्रभावी हो जाएगा। अभी तक कोई भी इंजीनियरिंग कालेज एक पाठ्यक्रम में अधिकतम 240 से अधिक दाखिले नहीं कर सकता है।

उत्तराखंड में महिला प्रौद्योगिकी संस्थान व इंस्टीट्यूट आफ हाइड्रोपावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी (आइएचईटी) में बीटेक कंप्यूटर साइंस जैसे महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम की सीटें बढ़ सकती हैं। यही नहीं, जो संस्थान परीक्षा परिणाम में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, वह अब एक बार में तीन साल के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमोदन प्राप्त कर सकेंगे। अभी तक प्रत्येक संस्थान को हर वर्ष अनुमोदन लेना पड़ता था। परिषद के बदले नियमों का लाभ वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (यूटीयू) के छह कैंपस कालेज और 24 संबंध स्ववित्तपोषित इंजीनियरिंग कालेजों को मिलेगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुसार, किसी भी संस्थान की ओर से मांगे गए प्रवेश में वृद्धि को मंजूरी देने से पहले, परिषद की विशेषज्ञ विजिटिंग कमेटी के माध्यम से बुनियादी ढांचे और संकाय उपलब्धता का पता लगाएगी। तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा में समन्वित विकास सुनिश्चित करने के लिए परिषद की देखरेख में कंप्यूटर एप्लीकेशन (बीसीए) और प्रबंधन (बीबीए/ बीएमएस) में स्नातक (यूजी) पाठ्यक्रमों को लाने का भी निर्णय लिया है। यूटीयू के कुलसचिव डा. सत्येंद्र सिंह ने बताया कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद पहले से ही स्नातकोत्तर स्तर पर कंप्यूटर एप्लीकेशन और प्रबंधन पाठ्यक्रमों को नियमित कर रही है, लेकिन स्नातक स्तर पर इन पाठ्यक्रमों का कोई विनियमन नहीं है। उन्होंने कहा, ये पाठ्यक्रम बिना किसी उचित नियमन के चल रहे थे। इसलिए, गुणवत्ता के लिए इन्हें परिषद के तहत लाने का निर्णय लिया गया है।

240

दाखिले कर सकता है अभी तक संस्थान किसी पाठ्यक्रम में अधिकतम, नियमों में शिथिलता का मिलेगा लाभ

राज्य स्तर पर फंसता है संस्थान की संबद्धता का पेच

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के प्रति जिम्मेदारी किसी राज्य में संचालित विश्वविद्यालय की है। यदि कोई संस्थान राज्य विवि से संबद्ध है तो उसकी मान्यता राज्य सरकार और राजभवन से ली जाती है। उत्तराखंड में संचालित संबद्ध इंजीनयरिंग कालेजों को प्रतिवर्ष सरकार से संबद्धता लेनी होती है। यदि राज्य सरकार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के तीन साल की संबद्धता एक साथ देने के नियम को लागू करता है तो इससे बेहतर प्रदर्शन करने वाले संस्थान को लाभ होगा। अन्यथा अभी तक के नियमानुसार प्रत्येक वर्ष संबद्धता लेनी होती है। संबद्धता की फाइल की कार्य परिषद की अनुमोदन के बाद सरकार को भेजी जाती है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का निर्णय स्वागत योग्य है। इस बदले हुए नियम से यूटीयू के छह कैंपस संस्थान और संबद्ध इंजीनियरिंग कालेजों को दूरगामी लाभ मिलेगा। कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, साइबर सिक्योरिटी जैसे पाठ्यक्रमों में छात्रों की संख्या बढ़ेगी। जिस संस्थान का परीक्षा परिणाम ओवरआल बेहतर रहा, वहां एआइसीटीई के नियमानुसार 240 से अधिक सीटें एक शाखा में बढ़ेंगी। यह छात्रों के लिए लाभकारी होगा।

प्रो. ओंकार सिंह, कुलपति यूटीयू

देहरादून की और भी खबरें पढ़ें
www.jagran.com